बाल सुधार व कल्याण हेतु निजी संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन

निशा झँवर

प्राचीन काल से बाल सुधार व कल्याण देखभाल जैसे विषयों में से एक रहा है। जिनके प्रति भारत का राज्य तंत्र प्रतिबन्द्ध रहा है। बाल सुधार एक अलग विज्ञान के रूप में प्रारम्भ हुआ है। यह समाज विज्ञान की वह शाखा है। जो बच्चों के समाज विरोधी व्यवहार का अध्ययन करती है। बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य है।

मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अतः तक उनमें होने वाले मनौविज्ञानिक परिवर्तन को बाल सुधार कहते है। बच्चों के विकास की अवधि की परिभाषाएँ दी गयी है। क्योंकि प्रत्येक अवधि के शुरू और अंत के बारें में निरन्तर मतभेद रहा है।

नवजात (उम्र 0 से 1 महिना) शिशु (उम्र 1 महिने 1 वर्ष) नन्हा बच्चा (उम्र 1 से 3 वर्ष) प्री स्कूली बच्चा (उम्र 4 से 6 वर्ष) स्कूली बच्चा (6 से 13 वर्ष) किशोर–किशोरी (उम्र 13 से 20 वर्ष) परन्तु हांलाकि जीरो टू थी और वर्ल्ड एसोसिएशन फार इन्फैन्ट मैटल हैल्थ संगठन शिशु शब्द से इस्तेमाल एक व्यापक श्रेणी के रूप में करते है। जिसमें जन्म से तीन वर्ष तक की उम्र के बच्चें शामिल होते है। क्योंकि शिशु शब्द की लैटिन भाषा उन बच्चों को सन्दर्भित कराती है। जो बोल नहीं पाते है।

बच्चों के सुधार के लिए समाज को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए बच्चों के सामाजिक भावात्मक और शैक्षिक विकास को समझना अत्यन्त जरूरी है। इस क्षेत्र में बढ़ते शोध या रूचि के परिणाम स्वरूप नये सिद्धान्तों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही साथ स्कूल सिस्टम के अन्दर बच्चों का विकास को बढावा देने वाले अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। इसके अलावा कुछ सिद्धान्तों में बच्चों के सुधार करने की अवस्थाओं का वर्णन करने की कोशिश करते है। एन जी ओ इडिया के सम्बद्ध और सदस्य सम्पूर्ण भारत से है। भारत की स्वयसेवी संस्थाएं भी जानकारी उपलब्ध करवा रही है।

बाल सुधार संस्थाओं में अभिरक्षा निरोधक कार्यक्रम व अधिनियम

भारत में बाल सुधार से सम्बन्धित कई अधिनियम बने है–

1. बाल अधिनियम 1933 इसमें बाल श्रमिक को बंधक बनाने के विरूद्ध 50 रु एवं दलाल या नियोक्ता के खिलाफ 2 0 0 रु जुर्माने का प्रावधान है।
2. बाल रोजगार अधिनियम –1938 इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान रखे गये है। अधिनियम के निर्धारित तहत अयोग्यता की सूची में रखा गया है।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम –1948 इसमें न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संदर्भ में साढ़े चार घंटे का सामान्य कार्य दिवस माना गया है।
4. खान अधिनियम –1952 संशोधित अधिनियम –1983 में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को खदानों या जमीन के नीचे कार्य करने की अनुमति नहीं है।
5. अधिनियम –1959 संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा बाल अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा की गई इसमें 10 सिद्धान्तों पर रजामदी दी जिसमें भाईचारा, मित्रता शांति आदि है। जन्म के साथ ही बालक राष्ट्रीयता का अधिकार स्वस्थ पोषण मकान सुविधा आदि की शिक्षा दी जाएगी।

(1) बालक प्रजाति रंग लिंग भाषा संपत्ति जन्म व सस्तर के भेदभाव के बिना इन अधिकारों का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक बालक अपने जन्म के साथ ही नाम और राष्ट्रीयता का हकदार व अधिकारी होगा।

(3) मानसिक व शारीरिक रूप से विकलाँग बच्चों को विशेष उपचार देख–रेख व शिक्षा दी जाएगी।

(4) बालकों को कम से कम प्राथमिक स्तर तक मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

(5) बालकों को सभी स्थितियों में सुरक्षा व राहत सबसे पहले पहुँचाई जायेगी।

(6) बच्चों की उपेक्षा कूरता व शोषण के विरूद्ध सुरक्षा की जाऐगी।

बालकों से संबधित आपातकालीन निजी संस्था व सरकार द्वारा सुविधाएँ

(1) चाइकडलाईन के माध्यम से आपातकालीन सेवा –

चाइल्ड लाइन देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए एक आपात कालीन फोन पहुँच सेवा है। कठिन परिस्थिति में रहने वाले कोई भी बच्चा या कोई वयस्क इस सेवा तक 1098 डायल करके पहुँच सकता है। भारतीय सरकार द्वारा 1999 में इस सेवा को स्थापित किया गया था।

(2) जरूरतमंद बच्चों के लिए खुले आवास –

एक शहरी परिवेश में बड़ी चिंता का विषय है। शहरी क्षेत्रों में भारत की 29 प्रतिशत आबादी निवास करती है। इसमें मूलभूत सुविधा स्वच्छता, शिक्षा स्वास्थ की देख रेख मनोरंजन संविधाओं आदि की अवस्था में रहते है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा दुष्परिणाम बच्चों पर होता है। इसमें मानव जीवन और पूँजी का नुकसान होता है।

(3) संस्थागत सेवाएँ –

इस योजना द्वारा कानून के साथ विवाद में पेड़ संरक्षण, जरूरत वाले बच्चों के लिए मौजूदा संस्थागत संविधाओं के स्रजन को सहायता दी जाएगी। एक बार डी सी पी एस की सहगति होने पर 15 दिनों के अन्दर अनुमोदन किया जाएगा।

(4) आवास ग्रह –

बच्चों की बडी सख्या इसकी सेवाओं की जरूरत हैं एक या अनेक कारणों से अस्थायी अवधि के लिए आवासीय देखरेख की जरूरत है। राज्य सरकार की स्वयंसेवी संगठनों को मान्यता देने का अधिकार है। जो इन बच्चों की जरूरते पूरी करते है। आवास ग्रह अस्थायी अवधि के लिए सहायता सेवाओं की जरूरत वाले बच्चों को दिन और रात के समय आश्रय प्रदान करेगे।

(5) पर्यवेक्षण ग्रह –

किशोर न्याय मण्डल के माध्यम बच्चों के दौरान आवासीय संरक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में पर्यवेक्षण ग्रहों की सुविधा और इनकी स्थापना में तेजी लाने के लिए योजना द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(6) विशेष ग्रह –

किशोर न्याय मण्डल द्वारा कानून के साथ बच्चों को लम्बे समय तक पुनर्वास और संरक्षण देने के लिए और संस्थागत सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में विशेष ग्रहों की सुविधा की स्थापना में तेजी लाने के लिए योजना सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

निजी संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहित कार्यक्रम

(1) गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सेवी संस्थाओं के मध्य जानकारी सहयोग और कारगर सवाद हेतु प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देना।

(2) गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सेवी संस्थाओं के आपस में व अन्य दूसरे संगठनों के साथ सूचनाओं व जानकारी के आदान प्रदान को विस्तार देने हेतु नेटवर्किंग

(3) एक ही प्लेटफार्म पर छोटे संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं सामाजिक कार्य कर्त्ताओं को कार्य क्षमता संवर्धन हेतु आनलाईन जानकारी व संचनाएं उपलब्ध करवाना

(4) सामुदायिक संगठनों को ताकत देने के लिए समान कार्य नीति योजनाओं पर कार्य करने वाले सहयोगी भागीदारी

के साथ जानकारी व योग्यता के अनुभव के आपस में साझेदारी हेतु नेटवर्किंग

(5) गैर सरकारी अलाभकारी संगठनों, परोपकारी संस्थाओं छोटे और सामुदायिक समूहों शैक्षिणिक और रिसर्च संस्थाओं हेतु कार्य करना।

(6) देशी–विदेशी सहायता संस्थानों से किस तरह से वित्तीय अनुदान प्राप्त किया जाए। इस पर मार्ग दर्शन देना।

(7) NGO स्वयं सेवी संस्थाओं को आार्थिक सहायता प्राप्त करवाने हेतु कारगर नीति बनाने में सहयोग

(8) सामाजिक मापदण्ड़ों का अनुसरण करते हुए सफलता पूर्वक एन जी ओ संचालन हेतु जानकारी, मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना।

(9) स्वयं सेवी संस्थाओं परिवर्तन निर्माण उत्प्रेरकों और विकास पुरूषों के मध्य विचारों की साझेदारी करना।

(10) NGO को निः शुल्क आसानी से व तुरन्त जानकारियाँ सूचनाएं उपलब्ध कराना।

(11) आर्थिक अनुदान प्रदान कर्त्ता सहायता संस्थाओं को भी सही एन जी ओ के चयन के लिए विविध सहायता देना।

(12) एन जी ओ रजिस्ट्रेशन और एन जी ओ सलाहकार सेवा हेतु जानकारी उपलब्ध कराना।

(13) एन जी ओ को स्वयं सेवक उपलब्ध करवाना तथा सामाजिक संस्थाओं और स्वयं सेवकों के मध्य साझेदारी सहयोग और समन्वयन स्थापित करना।

Lecturer, Department of Master of social work

Mahatma Jyoti Rao Phool University, Jaipur(Rajsthan-302004), India

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुँवरसिंह तिलारा समाज कार्य सिद्धान्त और व्यवहार सीतापुर लखनऊ
2. अवधेरा पाठक भारत में समाज कल्याण खजूरी बाजार मेनरोड़ इन्दौर
3. प्रो॰ प्रयागदीन मिश्र सामाजिक सामूहिक कार्य उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ
4. अहमद मिर्जा रफीउद्दीन समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियाँ ब्रिटिश बुक डिपो लखनऊ
5. ऐलिजावेथ ए॰ फरगुसन सोशल वर्क जे॰ बी॰ लिपिन काट कम्पनी, न्यूयोर्क
6. गोरे एम॰ एस॰ सोशल वर्क एण्ड सोशल वर्क एडपूकेशन एशिया पब्लिशिंग हाऊस
7. आचर्य राजा राम शास्त्री सोशल वर्क एज ए प्रोफेशस एशिया पब्लिशिंग हाऊस